फर्द अहकाम

(नियम–26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)

प्रार्थना पत्र धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रास्ता

प्रकरण संख्या .... /2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
11.06.2025	राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 एवं क्रमांकःप3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30/09/2021 की पालना में राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम झर पटवार हल्का झर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त दूधली तहसील बस्सी खसरा नम्बर 2993/1425 रकबा 0.2584 हैक्टेयर में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 2993/1425 रकबा 0.2584 है0. ग्राम झर में से प्रस्तावित रास्ता 7 मीटर × 160 मीटर = 0.1120 है0. की भूमि का उपयोग माकै पर बांसखोह रोड़ से मोद्याली ढाणी तक आने जाने हेतु आम रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है एवं कदीमी है। यह रास्ता उक्त खसरा नम्बर में मौके पर चालू है, लेकिन रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही (डोटडे लाईन) से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता बारहमासी प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है और आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ते की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार के अनुसार तहसीलदार तूंगा के द्वारा प्रेषित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम झर पटवार मण्डल झर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त दूधली तहसील बस्सी की भूमि खसरा नम्बर 2993/1425 रकबा 0.1120 है0. भूमि का राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते कें रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। तहसीलदार बस्सी द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला–जयपुर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर,

क्रमांक /राजस्व/रास्ता/2025/ दिनांकः–.....................

–ः रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश ः–

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर, दिनांक 10/08/2016 एवं क्रमांकःप3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30/09/2021 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अन्तर्गत एवं खसरा नम्बर 2993/1425 रकबा 0.1120 है0. ग्राम झर पटवार मण्डल झर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त दूधली तहसील बस्सी में रास्ते का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा संलग्न निर्णय/तहसीलदार बस्सी से प्राप्त प्रस्ताव नजरी नक्शा ट्रेस रिपोर्ट अनुसार रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर
दिनांकः– ....

क्रमांक /राजस्व/रास्ता/2025/
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
2. भू0अ0निरीक्षक वृत्त दूधली तहसील बस्सी।
3. पटवारी हल्का झर तहसील बस्सी।
4. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर